रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14, 1985/भाद्र 23, 1907

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14, 1985/BHADRA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union territories

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

सा. का. नि. 850:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त के कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी (ड्राइंग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय [अनुसंधान अधिकारी (ड्राइंग)] भर्ती नियम, 1985 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

Rule 3(iii)

(A) Librarians

(i) Shri S. C. Biswas,
Director,
Central Secretariat Library,
Shastri Bhawan,
New Delhi.

(ii) Dr. R. S. P. Singh,
Librarian,
Sinha Library,
Patna.

(iii) Prof. Ashin Das Gupta,
Director,
National Library,
Belvedere,
Calcutta.

(iv) Shri A. M. Sundarrajan,
Librarian,
Connemera Public Library,
Madras.

(B) Educationists :

(i) Dr. A. K. Jalaluddin,
Director,
Literacy House,
Lucknow.

(ii) Dr. Surjit Sinha,
Director,
Calcutta School of Social Sciences,
10, Lake Terrance, Calcutta.

(iii) Prof. K. A. Issac,
University of Kerala,
Trivandrum.

(iv) Dr. Nimai Sadhan Bose,
Vice-Chancellor,
Visva Bharati,
Santiniketan (WB)

(v) Shri Suresh Dalal,
Professor of Gujarati,
Bombay University,
Bombay.

(vi) Prof. Das,
Vice-Chancellor,
Sambalpur University,
Sambalpur (Orissa)

(vii) Prof. Chopra,
Pro-Vice-Chancellor,
Punjabi University,
Patiala.

(viii) Shri Biren Bhattacharya,
Vice-President,
Sahitya Akademi,
35, Ferozshah Road,
New Delhi.

(ix) Vacant.

Rule 3(iv)

(a) Indian Library Association, New Delhi.
Shri Girija Kumar,
President,
Indian Library Association,
New Delhi.

(b) Sahitya Academi, New Delhi.
Prof. (Dr.) Indra Nath Choudhuri,
Secretary,
Sahitya Academi,
Rabindra Bhawan,
35, Ferozeshah Road,
New Delhi-1.

(c) National Book Trust, India, New Delhi.
Dr. Syed Asad Ali,
Joint Director (Publishing),
A-5, Green Park,
New Delhi-16.

Rule 3(v)

(a) Ministry of Finance
Shri Jai Lal,
Controller of Accounts,
Pay & Accounts Office,
Shastri Bhawan,
New Delhi.

(b) Ministry of Education
Shri J. D. Gupta,
Joint Secretary (Book Promotion)
Ministry of Education,
Shastri Bhavan,
New Delhi.

(c) Mrs. C. P. Sujaya,
Joint Secretary,
Ministry of Social & Women's Welfare,
Shastri Bhavan,
New Delhi.

[No. F. 27-5/85-Lib.]

R. C. SOOD, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1985

सा. का. नि. 866--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आकाशवाणी (वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1962 को, जहां तक उनका संबंध मुख्य नकशानवीस के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आकाशवाणी में, मुख्य नकशानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह ख राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :—

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
मुख्य नक्शानवीस	1* (1985) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	650-30-740-35-810-द.रो.35-880-40-1000-द.रो.-40-1200रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य, अधिमानतः रेखांकन कार्यालय में अनुभव या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इंजीनियरी या नक्शानवीसी (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा या समतुल्य और विद्युत यांत्रिक या सिविल इंजीनियरी रेखांकन का कार्य करने वाले किसी रेखांकन कार्यालय में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव।	नहीं	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जाएगा।
11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (क) केन्द्रीय राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 550-900 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 425-700/800 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 8 वर्ष सेवा की है और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव हैं। (ऐसा विभागीय प्रधान नक्शानवीस पर भी जिसने उस श्रेणी में 550-900 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, विचार किया जाएगा और उसका इस पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उस संगठन में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर बिताई गई अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) मुख्य इंजीनियर आकाशवाणी—अध्यक्ष (2) उप निदेशक अधिकारी (प्रशासन)—सदस्य (3) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और डाक और तार विभाग के अधीक्षण इंजीनियर की श्रेणी का एक बाहरी सदस्य—सदस्य	चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

[सं. 301/4/83-बा (ड) ए-II]

जे. डी. भाटिया, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th August, 1985

G.S.R. 866.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 so far it relates to the post of Chief Draftsman, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Draftsman, in All India Radio in the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio (Group B Gazetted Post) Recruitment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or, contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post,

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whteher selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Chief Draftsman	1* (1985) *Subject to dependent on work-load.	General Central Service Group B Gazetted Non-Minsiterial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxble for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	No.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation. if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : Degree in Engineering of a recognised University or equivalent preferably with experince in Drawing office. OR Diploma in Engineering or Draftsman (3 years course) of a recognised University/institution or equivalent and 3 years experience in drawing office dealing in Electrical or Mechanical or Civil Engineering designs.	No.	For direct recruits only 2 years.	By promotion/transfer on deputation, failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion/transfer on deputation : (a) Officers of the Central/State Governments : (i) holding analogous post ; or (ii) with 5 year's service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent or (iii) with 8 year's service in posts in the scale of Rs. 425-700/800 or equivalent; and (b) Possessing qualifications and experience as required for direct recruits under Col. 8 (The departmental Head Draftsman with 5 years' regular service in the grade of Rs. 550-900 will also be considered and if he is selected for appointment to the post, it will be deemed to have been filled by promotion. The period of deputation, including the period spent in anothr ex-cadre post held immediately in the same organisation shall not ordinarily exceed 3 years).	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Chief Engineer (AIR)—Chairman 2. Deputy Development Officer (Admn.)—Member 3. An outside Member of the Suprintending Engineer Grade from CPWD or P&T—Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[No. 301/4/83-B(D)-A-II]

J.D. BHATIA, Under Secy.